रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1975/आश्विन 8, 1897

No. 277] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 1975/ASVINA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 30th September 1975

G.S.R. 513(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Seventeenth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, for rule 68, the following rule shall be substituted, namely :—

"68. *Manner of affixing banderols.*—Every banderol shall be so affixed that—

(a) the box or booklet on which the banderol is affixed cannot be opened without tearing the banderol;

(b) where it is affixed to a box, the banderol shall cover one side of the inner tray and a part of the rear or bottom of the outer box and the banderol itself shall not be covered by either the factory's label or any advertisement label.".

[No. 209/75-CE—No. F. 261/38/8/75-CX 8]

J. BANERJEE, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 513(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सतरहवां संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 68 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"68. **बैण्डरोल लगाने की रीति**—प्रत्येक बैण्डरोल इस प्रकार लगाया जाएगा कि—

(क) उस बाक्स या पुस्तिका को, जिस पर बैण्डरोल लगाया गया हो, बैण्डरोल को फाड़े बिना खोला न जा सके ;

(ख) जहां वह किसी बाक्स पर लगाया जाए, वहां आन्तरिक ट्रे की एक साइड और बाहरी बाक्स का पीछे का या सतह का भाग बैण्डरोल से ढका रहेगा किन्तु बैण्डरोल स्वतः न तो कारखाने की लेबिल से और न किसी विज्ञापन लेबिल से ही ढका जाएगा ।"

[सं० 209/75-सी ई—सं० फा० 261/38/8/75-सी एक्स 8]

जोतिर्मय बेनर्जी, अतिरिक्त सचिव ।

IOD-1370
6.9.77

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1975